संख्या 11030/9/79-अ.भा.से.(II)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 9 -3-1981

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।

विषय:- अखिल भारतीय सेवाएं- इस प्रश्न के संबंध में कि क्या किसी चयन ग्रेड अधिकारी के निलम्बन से उक्त चयन ग्रेड में कोई रिक्ति हो जाएगी ।

महोदय,

यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या किसी चयन ग्रेड अधिकारी के निलम्बन से उक्त चयन ग्रेड में स्वत: ही कोई रिक्ति हो जाती है, जिस पर वरिष्ठ समय वेतनमान वाले किसी अधिकारी को पदोन्नत किया जा सके । एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकारी के निलम्बित हो जाने से चयन ग्रेड में कोई रिक्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि (क) उसे पूर्णत: बरी हो जाने की दशा में अधिकारी उस सम्पूर्ण अवधि के दौरान चयन ग्रेड वेतन लेने का हकदार होगा जिसके दौरान वह निलम्बनाधीन था; तथा (ख) उसे कोई दण्ड दिए जाने की दशा में उसका निर्वाह -भत्ता अथवा वेतन तथा भत्ते चयन ग्रेड वेतन के संदर्भ में ही विनियमित किए जाएंगे ।

भवदीया,

(श्रीमती चित्रा चोपड़ा)
उप सचिव, भारत सरकार

संख्या 11030/9/79.अ.भा.से.(II) दिनांक 9 -3-1981

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की जाती है:-

1- महालेखाकार, असम मेघालय, मिजोरम तथा अरूणाचल प्रदेश, शिलांग को, श्री ए०के० मैत्रा के दिनांक 17.10.79 के अ.शा. पत्र संख्या जी.ए.I /441 के संदर्भ में, जो श्री आर.सी. सामल को लिखा गया था ।
2. राज्यों के सभी महालेखाकार, असम के महालेखाकार को छोड़कर ।
3. गृह मंत्रालय(भा.पु.से. अनुभाग)
4. गृह मंत्रालय (सं.रा.क्षे. अनुभाग)
5. कृषि विभाग(भा.व.से. अनुभाग)

(श्रीमती चित्रा चोपड़ा)
उप सचिव, भारत सरकार